

मध्यप्रदेश शासन
गृह(पुलिस)विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ0 16-498/2011/बी-1/दो,

भोपाल, दिनांक

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
मध्यप्रदेश,
2. समस्त जिला दण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश,

विषय-व्यक्ति विशेष के लिये शस्त्र एवं गोला बारूद नीति।


संदर्भ-इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.03.2011, 22.06.2011 एवं दि. 09.12.11


-00-

संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें जिसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा शस्त्र लायसेंस से संबंधित नवीन नीति एवं शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

2-- राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.12.2011 की कंडिका ii)-नवीनीकरण के संदर्भ में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि समस्त अवर्जित शस्त्र लायसेंसों का नवीनीकरण आवेदक को शस्त्र लायसेंस जारी करते समय शर्तों एवं सीमाक्षेत्र के अंतर्गत ही किये जाए के स्थान पर आवेदक द्वारा वर्तमान में धारित सीमाक्षेत्र के अंतर्गत नवीनीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(राजेश आग्रवाल)
अवर सचिव

 म0प्र0शासन, गृह विभाग


पु.क्र0 एफ0 16-498/2011/बी-1/दो,
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 12-01-12

1- पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल,

2- समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनाार्थ ।



अवर सचिव
म0प्र0शासन, गृह विभाग